विनोद कुमार वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0

या : 16 /554

018

पत्रवली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त करने में भारी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रथमदृष्टया प्रकरण पर विचार किया गया न ही अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दुओं पर विचार किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रार्थना, जवाब व सुनवाई के रेस्पोडेन्ट क्रम 4 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2016 निरस्त फरमया जावे ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में, निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश की अपील प्रस्तुत की है वह अंतरिम आदेश है और अंतरिम आदेश की अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है । उक्त अपीलाधीन ओदश अंतरिम आदेश है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 बहाल रखा जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश की अपील प्रस्तुत की वह अंतरिम आदेश है क्योंकि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में आगामी तारीख पेशी दी गई है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में किये गये निवेदन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 निरस्त किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्ष अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निरस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है एवं अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक–दूसरे के कब्जे में दखल न करे एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा